माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश
= = = = = = = = === = = = = = = == ==

निगरानी प्रकरण संख्या/- वर्ष 2017
I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/1021

Recd on 27/11/17

1/- मोहनलाल अहिरवार आयु 40 वर्ष पुत्र तिजुआ

2/- गोविंदी अहिरवार आयु 45 वर्ष पुत्र तिजुआ

3/- अच्छेलाल अहिरवार आयु 50 वर्ष पुत्र तिजुआ

4/- कोमल अहिरवार आयु 30 वर्ष पुत्र तिजुआ अहिरवार
5/- जगत अहिरवार आयु 60 वर्ष पुत्र तिजुआ अहिरवार
निवासीयान ग्राम राशनखेरा उपतहसील बडागांवधसान तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

=========आवेदक/निगरानी कर्तागण

बनाम

जमना लोधी आयु 50 वर्ष पुत्र धरमू लोधी निवासी ग्राम राशनखेरा उपतहसील बडागांवधसान तहसील वजिला टीकमगढ़ म0प्र0 ========अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0 सं0 1959 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय अति0 तहसीलदार बडागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 14-7-2009 जो कि प्रकरण क्रमांक 65/अ-12/2007-08 मे पारित किया गया।

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्तागण अपनी निगरानी मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार बताये गये कि अनावेदक ने भूमि खसरा नम्बर 243/10 स्थित ग्राम राशनखेरा के संबंध मे सीमांकन कराये जाने हेतु कार्यवाही की जिस पर से राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं संबंधित पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गयी और राजस्व मण्डल द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा, ट्रेस, फील्डबुक व अन्य दस्तावेजो सहित अधीनस्थ न्यायालय अति0तहसीलदार बडागांव के समक्ष पेश किये जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सीमांकन दिनांक 14/7=2009को स्वीकार किया इसी आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी विधिसम्मत निराकरण हेतु प्रस्तुत की जा रही है:-

आधार
=========

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2018 / 1021

मौनलाल अहिरवार आदि विरूद्ध जमना लोधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागॉव धसान, तहसील व जिला–टीकमगढ़ के प्र. क्र. 55 / अ–12 / 2007–2008 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14–07–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	